[2018] 11 एस.सी.आर. 654

टी. एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(आईए संख्या 1424-1425/2005)

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995)
में समाहित

सितम्बर 14, 2018

[मदन बी. लोकुर, एस. अब्दुल नज़ीर और दीपक गुप्ता, जे.जे.]

पर्यावरण कानून:

वन संरक्षण अंतर्वर्ती आवेदन में राज्य/अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि जंगल में, लाइसेंसधारी द्वारा पट्टे की आड़ में गैर-वन गतिविधियां (खनन कार्यों सहित) नहीं की जाती हैं - साथ ही दोषी व्यक्तियों /अधिकारी आदि के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गई है। - न्यायालय समिति द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पाया कि प्रश्न में लाइसेंसधारी के पक्ष में खनन का अनुदान, वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन था और लौह अयस्क का निष्कर्षण और उसका परिवहन अनुमोदित खनन योजना का उल्लंघन था और साथ ही कई अन्य अवैधताओं और अनियमितताओं का उल्लेख किया गया - समिति ने बिक्री आय की वसूली, जब्त किए गए लौह अयस्क की बिक्री, दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और लाइसेंसधारी को काली सूची में डालने की सिफारिश की - राज्य ने समिति की सिफारिश के अनुपालन में की गई कार्रवाइयों के बारे में बताते हुए हलफनामा दायर किया - अभिनिर्धारित: समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है - राज्य ने आवश्यक कदम उठाए हैं - जहां तक लाइसेंसधारी का संबंध है, आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

कोर्ट ने आवेदनों का निस्तारण करते हुए

अभिनिर्धारित किया: केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। सीईसी की रिपोर्ट को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि लाइसेंसधारी ने वन क्षेत्रों में खनन करके कानून का घोर उल्लंघन किया है। राज्य सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि राज्य सरकार खुद इन उल्लंघनों के लिए क्रियाशील थी और इस मामले में आवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य ने न केवल खनन रोकने के लिए बल्कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए भी कार्रवाई की है। राज्य के हलफनामे से पता चलता है कि वन क्षेत्रों में सभी खनन गतिविधियाँ बहुत पहले ही बंद कर दी गई हैं। यह स्पष्ट है कि लाइसेंसधारी द्वारा खनन और परिवहन किए गए लौह अयस्क के सीएमटी की पूरी बिक्री आय की वसूली के लिए कदम उठाए गए हैं। यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने पेशेवर कदाचार के दोषी पाए गए अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ शासन के खनन विभाग द्वारा तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच के आदेश भी दिये गये हैं। राज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने लाइसेंसधारी को पहले ही काली सूची में डाल दिया था। अभिलेखों से स्पष्ट है कि जब्त लौह अयस्क का खनन निकटवर्ती वन भूमि से किया गया है। संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार उक्त जब्त लौह अयस्क की नीलामी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, जैसा कि आवेदनों में प्रार्थना की गई है, सीबीआई जांच का निर्देश देना आवश्यक नहीं है। जहां तक लाइसेंसधारी का संबंध है, आवेदनों का तदनुसार निपटान किया जाता है। [पैरा 7] [662–डी–एच; 663–ए]

**सिविल मूल क्षेत्राधिकार:रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में आई.ए. संख्या 1424–1425/2005**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

हरीश एन. साल्वे, राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। ए. डी. एन. राव, सुदीप्तो सरकार, सिद्धार्थ चौधरी, सुश्री अपराजिता सिंह (ए.सी.), प्रशांत भूषण, एस. श्रीवास्तव, प्रणव सचदेवा, सिद्धार्थ शुक्ला, फारुख रशीद, अपूर्व कुरुप, ए. सी. बॉक्सपात्रो, जी कौशल, सिद्धार्थ अय्यर, एस. वसीम ए. कादरी, डी. एल. चिदानंद, देवासिस भारुका, सुश्री सुहासिनी सेन, रितेश कुमार, जी. एस. मक्कड़, रवीन्द्र बाना, श्रीमती अनिल कटियार, बैजनाथ पटेल, गोपाल सिंह, कुमार मिलिंद, बैज नाथ पटेल, पी. एस. सुधीर, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस अब्दुल नजीर**,** जे**.**

आई.ए. संख्या 1424–1425/2005.

1. श्री भूपेश बघेल, विधायक, ने उपरोक्त रिट याचिका में आई.ए. संख्या 1424–1425/2005 दाखिल किया है, जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

(i) उत्तरदाताओं 1 से 3 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित पट्टे या राज्य द्वारा दी गई अनुमति की आड़ में जंगलों में उत्तरदाताओं 4 से 7 द्वारा खनन कार्यों सहित कोई भी गैर–वन गतिविधियां नहीं की जाती हैं।;

(ii) उत्तरदाताओं 1 से 3 को उत्तरदाताओं 4 से 7 के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दें, जिनकी मिलीभगत से, उत्तरदाताओं 4 से 7 ने जंगलों में गैर–वन गतिविधियाँ किया है और/या कर रहे हैं।;

(iii) सी.बी.आई. को निर्देशित करें कि 01.11.2000 को अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इस माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 के बाद भी वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में वे अधिकारी जो छत्तीसगढ़ राज्य में वनों में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पट्टा देने या गैर–वन गतिविधियों की अनुमति देने और जिम्मेदारी तय करने और फिर विभागीय कार्यवाही और/या उनके आपराधिक अभियोजन की सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए;

(iv) वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वन क्षेत्र में गैर–वन गतिविधियों को चलाने से पर्यावरणीय नुकसान के लिए उत्तरदाताओं 4 से 7 तक सीधे मुआवजे का निर्धारण और वसूली;

(v) उत्तरदाताओं 2 और 3 को पर्याप्त संख्या में पेड़ लगाकर और क्षेत्र के प्रतिपूरक वनीकरण के लिए तत्काल उपाय करके वन संरक्षण और खनन क्षेत्र के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दें; और

(vi) ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे।"

2. इस मामले में हम छत्तीसगढ़ राज्य में श्री अनिल लूनिया (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा की गई अवैध खनन गतिविधि से चिंतित हैं, आवेदक अनिल लूनिया, एक उद्योगपति के अनुसार, 31.10.1998 को भैंसा कंकर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में लौह अयस्क के खनन के लिए भैंसाकन्हार, जिला कांकेर में खनन पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन किया। छत्तीसगढ़ सरकार, खनन विभाग ने पत्र दिनांक 25.1.2002 के माध्यम से खसरा 123, 125, 127, 129, 130 और 139 के तहत 18.27 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया। पूर्वेक्षण के लिए कुछ शर्तों के साथ 29.5.2002 को लिखित अनुमति भी दी गई थी। कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26.5.2003 को अनिल लुनिया के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया गया। इसमें अन्य

बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया है कि पट्टेदार प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना कोई कटौती नहीं करेगा और डीएफओ की लिखित मंजूरी के बिना परिवहन प्रयोजन के लिए आरक्षित वन सड़कों में प्रवेश नहीं करेगा। यह भी उल्लेख किया गया था कि पट्टेदार को किसी भी समय राज्य/केंद्रीय अधिकारियों को निरीक्षण की अनुमति देनी होगी। जून–2003 के महीने में, अनिल लुनिया ने खनन कार्य शुरू किया, लेकिन आईबीएम की स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं। उन्होंने लीज की शर्तों का पालन नहीं किया और बिना अनुमति के पेड़ काटे। एक एनजीओ की ओर से की गई शिकायत में कहा गया था कि वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए लाइसेंस द्वारा हजारों पेड़ों को काट दिया गया है। एफओ कांकेर के संरक्षक ने एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट दी जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 18.9.20 को एक पत्र जारी किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा उल्लेख किया गया कि कैसे अधिसूचित संरक्षित वन को गैर वन राजस्व भूमि के रूप में दर्ज किया गया। वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के साथ खनन पट्टे की सुविधा प्रदान करना। बाद की कार्यवाही से पता चलेगा कि कैसे राज्य तंत्र का एक हिस्सा वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की अनुमति देने में शामिल था। आवेदक ने अनिल लुनिया द्वारा शुरू की गई कुछ न्यायिक कार्यवाहियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार उपरोक्त आवेदन यहां उक्त राहत की मांग करते हुए दायर किए गए हैं।

3. अनिल लुनिया ने आवेदन में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। न्यायालय के आदेश के आधार पर, एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (संक्षेप में 'सीईसी') का गठन किया गया। सीईसी ने विभिन्न सुनवाई के दौरान और साइट के दौरे के बाद मामले की जांच करने के बाद 25.9.2008 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इसमें वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर अनिल लुनिया के पक्ष में विभिन्न भूमि पर खनन की मंजूरी देने के संबंध में दस्तावेजों की विस्तार से जांच की गई है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुमोदित खनन योजना का घोर उल्लंघन कर लौह अयस्क का खनन और परिवहन किया गया है। खनन पट्टा वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन कर निष्पादित किया गया था। सीईसी द्वारा नोट की गई अनियमितताएं/अवैधताएं इस प्रकार हैं:

i) पूर्वेक्षण लाइसेंस तब भी प्रदान किया गया था जब श्री लुनिया को लागू क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल पाया गया था। पूर्वेक्षण लाइसेंस के अनुदान के विरुद्ध और उसके बाद पूर्वेक्षण लाइसेंस को रद्द करने के लिए कलेक्टर, कांकेर की सिफारिशों की अवहेलना/अनदेखी की गई;

ii) बस्तर जिले में लौह अयस्क खनिज क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित हैं। अपवाद के रूप में, श्री लुनिया के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस के साथ–साथ खनन लाइसेंस देने के लिए एमएमआरडी अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत केंद्र सरकार की अनुमति इस आधार पर प्राप्त की गई थी कि लौह अयस्क का कैप्टिव रूप से उपयोग किया जाएगा। श्री लूनिया द्वारा क्रशिंग–स्क्रीनिंग एवं स्पंज आयरन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उपरोक्त का घोर उल्लंघन करते हुए, श्री लूनिया द्वारा निकाले गए लौह अयस्क को बेचने की अनुमति दी गई;

iii) खदान बंद होने तक अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालित हुई। यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एमओईएफ द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना का उल्लंघन है;

iv) अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अनुमेय वार्षिक उत्पादन 6000 टन था। इसके विपरीत, 2003–2004 के दौरान 69,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क निकाला गया था। 2004–2005 और 2005–2006 के दौरान क्रमशः 35400 मीट्रिक टन और 18281 मीट्रिक टन लौह अयस्क निकाला गया। उपरोक्त में से 99,913 मीट्रिक टन का परिवहन किया गया। खनन विभाग ने किसी भी स्तर पर इन खुलेआम उल्लंघनों पर आपत्ति नहीं जताई;

v) जिस समय खदान से निकासी शुरू हुई थी, वन विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने माना कि खनन पट्टा क्षेत्र एक अनिर्धारित संरक्षित जंगल में था। इसके बावजूद कलेक्टर कांकेर ने खनन पर रोक नहीं लगाई। इसके बजाय, मामले को आठ महीने तक लंबित रखने के बाद, उन्होंने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया कि राज्य की सहमति के बाद ही "नए वन" (अर्थात आरक्षित वन) को अधिसूचित करने का वन विभाग का प्रस्ताव पर ऐसा किया जाएगा, जिसमें खनन पट्टे को रद्द करने पर विचार किया जाएगा;

vi) राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति के यह मानने के बाद भी कि उक्त क्षेत्र वन भूमि है, खनन जारी रखने की अनुमति दी गई। समिति के एक सदस्य ने, चार महीने से अधिक के अंतराल के बाद, अचानक बिना कोई कारण बताए, पहले सर्वसम्मति से सहमत रिपोर्ट के खिलाफ कई प्रतिकूल टिप्पणियाँ कीं;

vii) श्री लुनिया को निकटवर्ती आरक्षित वन में अवैध कटाई में शामिल पाए जाने के बाद भी खनन पट्टे को रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई;

viii) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.1.2000 में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन नहीं किया गया। खनन पट्टा देने से पहले वन विभाग की रिपोर्ट पर विचार करना जरूरी था, जो नहीं किया गया। गौरतलब है कि इस प्रयोजन के लिए हस्ताक्षरित पत्र श्री लूनिया के अनुरोध पर नहीं भेजा गया था। क्षेत्र में खनन की अनुमति देते समय क्षेत्र सत्यापन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया; और

ix) हालांकि राज्य द्वारा की गई जांच में, तत्कालीन कलेक्टर, कांकेर को कई अवैधताओं और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, उनके खिलाफ इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि वह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

4. सीईसी द्वारा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क) छत्तीसगढ़ राज्य को तत्कालीन प्रचलित दरों पर श्री लूनिया द्वारा निकाले गए और परिवहन किए गए लौह अयस्क की पूरी बिक्री आय वसूल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। देश के कानून को लागू करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए मुआवजे के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य को भी उतनी ही राशि जमा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए;

ख) राज्य द्वारा जब्त किए गए लौह अयस्क को व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद निविदाएं आमंत्रित करके तुरंत बेचा जाना चाहिए;

ग) तत्कालीन कलेक्टर, कांकेर के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए;

घ) श्री अनिल लुनिया को राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाला जाना चाहिए और कम से कम दस साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादी–छत्तीसगढ़ राज्य ने 30.9.2008 को हलफनामा दायर किया है जिसमें सीईसी की सिफारिशों के जवाब में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण है। इसके बाद 24.11.2008 को एक और हलफनामा दिया गया।

6. इन हलफनामों के जवाब में, छत्तीसगढ़ राज्य ने एक और हलफनामा दायर किया है जिसमें इस मामले से संबंधित नवीनतम स्थिति और उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। इस शपथ पत्र की सामग्री इस प्रकार है:

1) राज्य सरकार ने खसरा संख्या 123, 125, 127,129, 130 एवं 139 ग्राम भैसन कन्हार, बस्तर से श्री अनिल लुनिया द्वारा खनन और परिवहन किए गए 1,22,686.16 सीएमटी लौह अयस्क की पूरी बिक्री आय की वसूली के लिए दिनांक 23.9.2008 को एक मांग नोटिस जारी किया। । उक्त मांग नोटिस में श्री अनिल लूनिया को 6,66,75,633.75/– रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, श्री अनिल लुनिया उक्त राशि जमा करने में विफल रहे। इसलिए, कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर ने कलेक्टर, दुर्ग (जहां श्री अनिल लुनिया रहते हैं) को एक राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी किया, जिन्होंने तब तहसीलदार, दुर्ग को 11 फरवरी, 2010 को राजस्व की वसूली के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। तदनुसार, तहसीलदार, दुर्ग ने राजस्व वसूली प्रकरण क्रमांक. 01ए/76/2009–10, श्री अनिल लूनिया के विरूद्ध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 08.10.2010 का सम्मन जारी किया गया। इसके बाद तहसीलदार की अदालत ने 29.12.2010 को एक डिमांड नोट जारी किया, जिसे श्री अनिल लुनिया ने विद्वान अष्टम सिविल न्यायाधीश,

द्वितीय श्रेणी, दुर्ग की अदालत में सिविल सूट (नंबर 46 ए/2011) दायर करके चुनौती दी। विद्वान अष्टम सिविल न्यायाधीश, वर्ग II, दुर्ग ने 04.04.2011 को निषेधाज्ञा आदेश जारी किया, और मामला वर्तमान में उस न्यायालय के समक्ष लंबित है। अष्टम सिविल न्यायाधीश, वर्ग II, दुर्ग के आदेश दिनांक 04.04.2011 की सत्य अनुवादित प्रति को संलग्नक आरसीजी–1 के रूप में अंकित किया गया है।

ii) माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पार्टियों को (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य और श्री अनिल लुनिया) निर्देशित करते हुए एक आदेश दिनांक 16.12.2008 पारित किया था (डब्ल्यू.पी. संख्या 6355/2005 में) जिसमे श्री अनिल लूनिया के विरूद्ध जप्ती कार्यवाही के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त रिट याचिका को बाद में दिनांक 24.12.2008 के आदेश के माध्यम से इस माननीय न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे 2018 के स्थानांतरित मामले संख्या 16 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है।

जब्त किया गया लौह अयस्क फिलहाल घटनास्थल पर पड़ा हुआ है और उस पर प्राकृतिक वनस्पति उग आई है। इसे साइट की नवीनतम तस्वीरों से देखा जा सकता है, जिनकी प्रतियां संलग्न की जा रही हैं और अनुबंध आरसीजी –2 के रूप में चिह्नित की गई हैं।

iii) राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की, जो नीचे वर्णित हैं: –

A. श्री आर.ए. पाठक, तत्कालीन एसडीओ, भानुप्रतापपुर के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक जांच का आदेश दिया गया था। श्री आर.ए. पाठक को सुनवाई का अवसर देने के बाद उन्हें पेशेवर कदाचार का दोषी पाया गया। तदनुसार, और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 10(5) के अनुसार दिनांक 30.01.2010 को एक आदेश जारी किया, जिसमें श्री आर.ए. पाठक का वेतन न्यूनतम वेतनमान पर निर्धारित करके दंडित किया जाए।

बी. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री एम. कल्याणी (तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर, कांकेर) के विरुद्ध अनुशासनात्मक जाँच के भी आदेश दिये गये थे। श्री एम. कल्याणी को भी पेशेवर कदाचार का दोषी पाया गया, और राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 12 के अनुसार दिनांक 09.12.2011 को एक आदेश जारी किया, जिसमें तीन साल तक न्यूनतम वेतनमान पर उनका वेतन तय करके दंडित किया गया।

सी. श्री एस.के. पांडे, तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 47 एवं 48 के तहत अनुशासनात्मक जांच का भी आदेश

दिया गया। हालाँकि, श्री एस.के. पांडे ने राज्य सरकार की उपरोक्त कार्रवाई की आलोचना करते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (संख्या 5748/2009) दायर की और दिनांक 24.10.2009 के आदेश के तहत उन्हें निषेधाज्ञा राहत दी गई।

डी. दिनांक 28.9.2010 के एक आदेश द्वारा श्री पी.एन. नाइक, तत्कालीन सहायक ग्रेड II, को भी छत्तीसगढ़ सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय द्वारा उनकी सुनवाई के अनुसार पेशेवर कदाचार का दोषी पाया गया था। श्री पी.एन. नाइक को दो वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया गया।

iv) छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने दिनांक 22.9.2008 के एक आदेश द्वारा श्री अनिल लुनिया को काली सूची में डाल दिया था। काली सूची में डालने का क्रम 08.09.2014 तक छह (6) वर्षों तक जारी रहा। हालाँकि, दिनांक 08.09.2014 के आदेश में कहा गया है कि भविष्य में किसी न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ फैसला सुनाए जाने की स्थिति में श्री अनिल लुनिया को फिर से काली सूची में डाला जा सकता है।

7. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हम सीईसी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। सीईसी की इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि श्री अनिल लूनिया ने कानून का घोर उल्लंघन किया था और वन क्षेत्रों में खनन किया था। राज्य सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि राज्य सरकार स्वयं इन उल्लंघनों के प्रति सचेत थी और उसने इस मामले में आवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य ने न केवल खनन रोकने के लिए बल्कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए भी कार्रवाई की है। राज्य के हलफनामे को पढ़ने से पता चलता है कि वन क्षेत्रों में सभी खनन गतिविधियाँ बहुत पहले ही बंद कर दी गई हैं। यह स्पष्ट है कि श्री अनिल लुनिया द्वारा ग्राम भैसन कन्हर, बस्तर के खसरा संख्या 123, 125, 127, 129, 130 और 139 से खनन और परिवहन किए गए लौह अयस्क की सीएमटी की पूरी बिक्री आय की वसूली के लिए कदम उठाए गए हैं। यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने पेशेवर कदाचार के दोषी पाए गए अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। श्री एस.के. पांडे, तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी, के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन के खनिज विभाग द्वारा अनुशासनात्मक जाँच के भी आदेश दिये गये हैं। । छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने पहले ही श्री अनिल लुनिया को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। अभिलेखों से स्पष्ट है कि जब्त लौह अयस्क का खनन बगल की वन भूमि से किया गया है। संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार उक्त जब्त लौह अयस्क की नीलामी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, जैसा कि आवेदनों में प्रार्थना की गई है, सीबीआई जांच का निर्देश देना आवश्यक नहीं है। जहां तक अनिल लुनिया का सवाल है, आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

8. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आइ.ए. का निस्तारण किया गया।

Translated By:

Rang Nath Tripathi

Advocate